Khap.qxd 26/08/13 10:38 AM Page 2

छाया: जितेंद्र गुप्ता

पंचायत में हुक्का गुड़गुड़ाते खाप के नेता

खापों पर दबंग जमींदारों का कब्जा

जाति-खाप पंचायतों और राजनीतिक कुलीन वर्ग के बीच गहरा संबंध है

मनीषा भल्ला

जाति और खाप पंचायतें हर मंच पर दावा कर रही हैं कि न तो वे प्रेमी युगलों के कत्ल का फरमान सुनाती हैं न किसी को गांव निकाला देती हैं। यह दावा सही है लेकिन यह भी सही है कि वे जाति और खाप के नेता ही हैं जो गांव में ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि पूरा समाज उस परिवार का बहिष्कार कर देता है जिस घर से प्रेमी युगल भागकर शादी करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों के गांवों में आज भी सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक तानाबाना ऐसा है कि हर किसी की दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भरता है। ऐसे में गांव में किसी भी परिवार का बहिष्कार उसके लिए मरण की स्थिति जैसा होता है।

महिम खेड़ी (हरियाणा) गांव की पंचायत ने सतीश और कविता को शादी के तीन साल बाद भाई-बहन घोषित कर दिया। सतीश के पिता आजाद सिंह बताते हैं, 'पूरे गांव के सामने मुझे मेरे पोते का नाना बताया और सभी के सामने मेरे मुंह में जूता ठूंस दिया।' महिम खेड़ी में इस परिवार से कोई बात नहीं करता। पंचायत ने आजाद सिंह का हुक्का बंद कर दिया (हरियाणा में रवायत है कि एक जगह पर सभी बुजुर्ग पुरुष हुक्का पीते हैं। हुक्का बंद होना यहां अपमानजनक माना जाता है)। इस घटना के बाद आजाद सिंह घर से बाहर नहीं निकले। सन 2000 में जोणधी में हुई एक पंचायत ने एक बच्चे के माता-पिता बन चुके आशीष और दर्शना को भाई-बहन घोषित कर दिया। जुलाई, 2009 में कादयान खाप बहुल ढराणा (झज्जर) के रहने वाले गहलोत परिवार के रविंदर की कादयान खाप के सिवाह गांव की शिल्पा से शादी हुई। शादी का पता चलते ही कादयान खाप ने इसे नाक का सवाल बना लिया। कादयान खाप की पंचायत ने गहलोत परिवार का जीना मुहाल कर दिया। आखिरकार शादी के बाद रविंदर और शिल्पा को अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। कादयान खाप का कहना था कि शिल्पा हमारे गोत्र की है, इस नाते वह हमारी बहन-बेटी हुई। ऐसे में हमारी बहन-बेटी हमारी बहू बनकर हमसे ही घूंघट कैसे कर सकती है। ऐसे असंख्य जोड़े हैं जिन्हें खाप पंचायतों ने भाई-बहन घोषित कर दिया। ऐसे में किसी ने गांव छोड़ा तो कोई अपने जीवनसाथी से अलग रह रहा है।

जींद जिले के सिंहवाल गांव के वेदपाल को गांववासियों ने उस समय पीट-पीट कर मार डाला जब वह अपनी पत्नी सोनिया को लेने उसके गांव पहुंचा, जबकि उसके साथ सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी थे। बहुचर्चित करोड़ा गांव के मनोज-बबली वाले मामले में भी खाप के नेताओं ने बबली के रिश्तेदारों को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करनाल के घरौंडा वाले मामले को कौन भूल सकता है। यहां एक राजपूत लड़की ने एक दलित लड़की के साथ शादी कर ली थी। सरेआम दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। सन 2003 में सफीदों के निकटवर्ती गांव के लोगों ने एक प्रेमी जोड़े को पत्थरों से कुचलकर बुरी तरह मौत के घाट उतार

Khap.qxd 26/08/13 10:38 AM Page 3

मनोज और बबली: प्रेम की नफरत भरी कहानी

चंदरसुता डोगरा ने अपनी किताब 'मनोज एंड बबली: ए हेट स्टोरी' में हरियाणा की उस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है जिसमें प्रेम करने की सजा मौत है। मौत भी बेहद वहशी तरीके से। गांव करोड़ा (कैथल) के 23 वर्षीय मनोज और 19 वर्षीय बबली एक ही गोत्र के थे। गौरतलब है कि खाप पंचायतों के नियमानुसार एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। दोनों ने घर से भागकर चंडीगढ़ में शादी कर ली। दोनों परिवारों का गांव में सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया गया। पुलिस ने मनोज और बबली को 15 जून, 2007 को कैथल कोर्ट में पेश किया। बबली के परिजन और करीबी दोनों का लगातार पीछा कर रहे थे। दोनों यह बात जानते भी थे। वे डरे, सहमे, सिकुड़े बस में बैठे रहे। उन्हें लगा पुलिस उनके साथ है। कोर्ट से लौटते हुए नीलोखेड़ी के पास बबली के परिजनों ने दोनों को बस से खींच लिया। बुरे तरीके से उन्हें यातनाएं दीं गईं। उसके बाद दोनों की हत्या कर उनकी लाश नहर में फेंक दी। किताब में बताया गया है और साबित किया गया है कि मनोज और बबली की हत्या पूरी तरह से खाप और राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थित हत्या थी। सामाजिक बहिष्कार की स्थिति यह थी कि मनोज की मौत के बाद गांव के कुम्हार ने इस परिवार को घड़ा तक देने से इनकार कर दिया था। मनोज की बहन सीमा और मां चंद्रपति ने बहादुरी से काम लिया। न्याय की गुहार की। मनोज के परिवार को खूब धमकियां भी मिलीं। लेकिन दोनों ने धमकियों की परवाह नहीं की। चंद्रपति एक अशिक्षित और विधवा महिला हैं। बावजूद इसके उन्होंने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए अदालतों में खूब धक्के खाए और थकीं नहीं। मनोज की बहन सीमा पर जानलेवा हमला हुआ, बावजूद इसके सीमा के कदम रुके नहीं। दोनों महिलाएं घर के बेटे और उसकी पत्नी को न्याय दिलवाने में दृढ़ रहीं।

पत्रकार चंदरसुता डोगरा ने इस मामले की गहन पड़ताल की है। करोड़ा गांव के इस बहुचर्चित मामले को लेकर उन्होंने राज्य की ग्रामीण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, खाप व्यवस्था और पितृसत्तामक व्यवस्था की गहरी जड़ों का बेहतरीन खुलासा किया है। यह किताब राज्य में महिलाओं और नौजवानों की स्थिति का भी बखान करती है। हालांकि इस मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस समय जबकि खाप पंचायतें आए दिन फतवे सुना रही हैं और उनका अस्तित्व विवादों में है, इस किताब का आना प्रशसंनीय है। चंदरसुता डोगरा ने मनोज और बबली वाले मामले में गहन अध्ययन किया। शुरू से लेकर अंत तक एक-एक पल को शब्दों में पिरोया। मनोज की बहन सीमा और मां चंद्रपति के संघर्ष बताया जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। सबसे अहम कि किताब में खाप के नेता गंगाराज की जुबानी भी कई चीजे हैं। इस मामले को प्रकाश में लाने में मीडिया की भूमिका अहम रही है। मनोज और बबली की कहानी मील का पत्थर इसलिए भी है कि इनकी हत्या ने इतना तूल पकड़ा कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने राज्य सरकारों से आबरू के नाम पर हत्या के बारे में जानकारी मांगी और खाप पंचायतों को अवैध करार दिया। बावजूद इसके अपने वोटबैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां खाप पंचायतों की न केवल हिमायत करती हैं बल्कि इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती हैं।

दिया। सन 2003 में ही जींद के रामगढ़ गांव में एक दलित युवती मीनाक्षी ने अपने ही गांव के एक सिख युवक से प्रेम विवाह किया तो उसे पंचायत ने मौत का फरमान सुनाया। वर्ष 2009 में झज्जर जिले के सिवाना गांव के प्रेमी युगल संदीप और मोनिका की हत्या कर उनके शव खेतों में पेड़ से लटका दिए। सन 2008 में करनाल के बल्ला गांव में एक ही गोत्र में विवाह करने पर जस्सा और सुनीता को मार डाला गया।

सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद बेशक अब सरेआम हत्या करने के फरमान नहीं सुनाए जाते हैं। लेकिन प्रेमी युगलों की हाल ही में हुई हत्याओं में देखा गया है कि जाति और खाप पंचायतों के लोग गांव में ऐसा माहौल बना देते हैं कि परिवार को लगता है कि अगर हम अपनी बहन-बेटी को नहीं मारेंगे तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी या उन्हें लगता है कि इस कलंक को धोने का एक ही तरीका है कि लड़का-लड़की का कत्ल कर दिया जाए। जनवादी महिला संगठन की जगमती सांगवान कहती हैं कि खाप पंचायतें चाहती हैं कि कहीं प्रेम विवाह के जरिये जाति व्यवस्था कमजोर न हो जाए। दरअसल मकसद तो राजनीतिक रोटियां सेंकने का है। जाति और खाप पंचायतों का अस्तित्व दिल्ली देहात,पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालियान और हरियाणा में गठवाला खाप सबसे बड़ी मानी जाती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ग्रामीण समाज पूरी तरह से खाप पंचायतों का अनुसरण करता है। इस बारे में 'खाप पंचायतों की प्रासंगिकता' विषय पर किताब लिखने वाले डॉ. डीआर चौधरी बताते हैं कि खाप एक बहिर्गोत्री विवाही, कबीलाई ढांचे वाली मजबूत पितृसत्तात्मक संस्था है। उनके अनुसार यह मुख्यत: जाट संस्था है जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रतिबंधित है। चौधरी का कहना है कि आए दिन महिलाओं के लिए फतवे वे लोग देते हैं जिनके यहां महिलाओं की कोई जगह ही नहीं है। बेशक सर्वजातीय खाप आयोजित होती हैं लेकिन जाट ही बहुलता में होते हैं। उनका कहना हैं कि हरियाणा की खाप पंचायतों और राजनीतिक कुलीन वर्ग के बीच गहरा संबंध है। वे एक-दूसरे से ताकत लेते हैं। हरियाणा की मुख्यधारा पार्टियां अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहती हैं, इसलिए खाप पंचायतों को नाराज नहीं कर सकतीं। खाप पंचायतों में गांव के रईस जमींदार होते हैं। खासकर इनके चौधरी अपनी खाप में सबसे अमीर होते हैं जो हर उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो जमींदारी, जाति और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करे। चौधरी के अनुसार इन्हें डर है कि कहीं इनकी समाज पर पकड़ ढीली न हो जाए। गांव के रईस जमींदारों का जमावड़ा हैं खाप पंचायतें। इसलिए गांव के किसी आम व्यक्ति की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इनके खिलाफ जाए। इन गांवों को खंगालने के बाद कहा जा सकता है कि यहां मनोनीत पंचायतों की खास नहीं चल पाती। खाप के चौधरी सर्वोपरि हैं। जगमति सांगवान का यह भी कहना है कि अंतरजातीय विवाह पर खाप पंचायतों को ऐतराज इसलिए भी है वे लड़कियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहतीं। ●

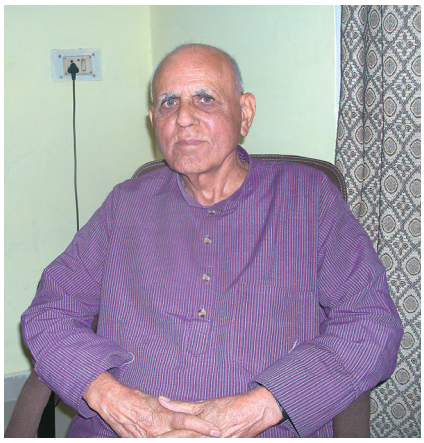

खाप एक बहिर्गोत्री विवाही, कबीलाई ढांचे वाली मजबूत पितृसत्तात्मक संस्था है।

डी.आर. चौधरी